



(43)

~~PBR/मिगरान~~ PBR/मिगरान/खण्डवा/भू-रा/2017/1670

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-खण्डवा

श्री. विमल चन्द्र शर्मा
द्वारा आज दि. 07.06.17 को
प्रस्तुत

विमल चन्द्र शर्मा
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सज्जन बाई बेवा मांगी लाल
निवासी - बडिया ग्यासूर तहसील पधाना
जिला - पूर्व निवाड खण्डवा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

हुकुम पुत्र श्री छगन हरजन
निवासी - सोनगीर तहसील पधाना जिला
खण्डवा (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार पधाना द्वारा प्रकरण क्रमांक 97/अ-6/2015-16
में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

विमल चन्द्र शर्मा

८.६.२०१७

आवेदक की ओर से श्री
के.के.डी.डी. अग्निबाधक उपोपेतता
ग्राह्यता पर सुना गया। उनका
केवल यही कहना है कि आवेदिका
७४ वर्ष की महिला होकर बूढ़ है।
अतः कमिश्नर नियुक्त करना चाहिए,
पल्लु तहसीलदार कमिश्नर नियुक्त
जही कर रहे हैं। अतः कमिश्नर
नियुक्त किया जाये। आवेदिका
के अग्निबाधक द्वारा प्रस्तुत तर्कों
के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार का
निर्देश दिया जाते हैं कि
कमिश्नर नियुक्त का आग्रह
कार्रवाई की जाये।

अ.क.

अ.क.